संख्या-30/2019/4519/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 30 जनवरी 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के 03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-324/ज0जा0वि0/लेखा/2018-19, दिनांक-26.12.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों हेतु **रूपये-49.80 लाख (रूपये उन्चास लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-02-796-17-02-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैंः-

1- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।
2- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
4- जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2018-19 में नही की जायेगी।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
7- धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-30/2019/4519(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) वित्तीय वर्ष 2018–19 (रूपये लाख में)

निम्नलिखित मिशिओं से प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–1702 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–17–जनजाति उपयोजना–02–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम थारू विकास परियोजना गोण्डा–31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)					
31– सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	121.66	62.93	49.80	49.80	71.86
योग	121.66	62.93	49.80	49.80	71.86

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (9+11)
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–03 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03–मुख्यालय अधिष्ठान					
01–वेतन	139.39	167.39	28.00	28.00	167.39
03–मंहगाई भत्ता	13.94	14.44	0.50	0.50	14.44
06–अन्य भत्ते	11.00	15.00	4.00	4.00	15.00
08–कार्यालय व्यय	1.20	2.70	1.50	1.50	2.70
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	3.50	1.50	1.50	3.50
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	15.00	9.00	9.00	15.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50	3.50	2.00	2.00	3.50
49–चिकित्सा व्यय	0.80	4.10	3.30	3.30	4.10
योग:–	175.83	225.63	49.80	49.80	225.63

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– प्रश्नगत योजनाओं में आवश्यकतानुसार धनराशि गत वर्ष मांग के सापेक्ष बजट न होने के कारण तथा विभाग में लेखाकार की नियुक्ति तथा मृतक आश्रित के रूप में तैनाती मुख्यालय में होने के कारण धनराशि की आवश्यकता हुई है, 08–कार्यालय व्यय एवं 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में गत वर्ष के सापेक्ष बजट न होने के कारण आवश्यकता हुई है। 15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद हेतु विभाग में किराये की 02 गाड़िया टैक्सी के रूप में किराये पर चल रही है, इसलिये आश्यकता हुई। मानक मद–47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय तथा 49–चिकित्सा व्यय के मद में गत वर्ष मांग के सापेक्ष बजट न होने के कारण आवश्यकता हुई

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–03–मुख्यालय अधिष्ठान में मांग के अनुसार शासन से अपेक्षित बजट प्राप्त न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता हुई।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुयल के प्रस्तर–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–260/ई–4–07/दस–19 दिनांक–11.01. 2019

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रमाण)

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)

अनु सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

शंकेश्वर त्रिपाठी

विशेष सचिव

वित्त विभाग।

हो0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ०संख्या– 30/2019/4519/(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक, कोषीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
9 गार्डफाइल

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।